रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264728
CG-DL-E-17072025-264728

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3162] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2025/आषाढ़ 24, 1947
No. 3162] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2025/ASHADHA 24, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

का.आ. 3232(अ).— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उपनियम (5) के साथ पठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उपधारा (2) के साथ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखत अन्य संशोधन करती है नामत:

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में, उपशीर्षक "डिग्री" के अंतर्गत, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबंधित क्रम संख्या 75 के समक्ष, मद (x) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
"*(xi)* आर.आर. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, देऔली, राजस्थान	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एवं ए.एच. [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब इसे दिनांक 20.07.2027 को या उसके बाद प्रदान किया जाएगा"

[फा.सं.के-12052-6/9/2017-एलएच]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव (पशुधन स्वास्थ्य)

_नोट: भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची को अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 28 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1914(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2025

S.O. 3232(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading "DEGREES", against serial number 75, relating to Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner after item (x) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised veterinary qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
(xi) R.R. College of Veterinary and Animal Science, Deoli, Rajasthan	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. [This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 20.07.2027]

[F. No. K-12052-6/9/2017-LH]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.(Livestok Health)

Note: The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was lastly amended by notification published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), vide number S.O.1914(E), dated the 28th April, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.17 14:11:59 +05'30'